विचार बिन्दु

क्षमा से क्रोध को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, दरिद्रता को दान से जीतो और सत्य से असत्यवादी को जीतो। –महात्मा बुद्ध

संसद सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसे है?

गत शुक्रवार दिनांक 30.05.2025 के सम्पादकीय में लेखक ने ''कंवर लाल मीणा की विधायिका समाप्त हो गई; किन्तु कारावास की सजा के कारण अयोग्य होने से सीट रिक्त होने का आदेश सही प्रतीत नहीं होता'' के शीर्षक से अपने अतिथि सम्पादकीय में लेख का सारांश निम्नलिखित प्रकार से अन्तिम चरण में किया था :–

''उपरोक्त मन्थन का सार यह है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के मुख्य कानूनी प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 191 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) है। उपधारा (4) धारा 8 को लिली थामस के केस (निर्णय दिनांक 10.07.2013) में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। इन दोनों कानूनों के कारण दोष सिद्धि अयोग्यता का कारण बनती है। यदि दोष सिद्धि में दो वर्ष या इससे अधिक कारावास की सजा दी गई है तो अयोग्यता स्वतः हो सकती है। इसे समझने के लिये संविधान के अनुच्छेद 190(3) को पढ़ना होगा। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि विधान सभा की सीट दोष सिद्धि की तारीख से रिक्त होती है और दोष सिद्धि (Conviction) 2020 में हुआ।''

विधानसभा की सीट दोष सिद्धि की तारीख से रिक्त होती है। यदि सजा 2 वर्ष से कम की नहीं है तो अयोग्यता दोष सिद्धि की तारीख से होगी और यह अयोग्यता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता से पीडित सदस्य को, धारा 8(3) के अपराधों के कारण दोष सिद्धि होने से धारा 8(4) का कोई लाभ नहीं मिल सकता।

इसी बात को स्पष्ट करते हुये लेखक ने पाठकों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद के कई प्रावधानों की ओर आकर्षित किया था जो स्पष्ट करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (4) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 10.7.2023 के अवैध हो जाने के कारण दोष सिद्धि अयोग्यता का कारण बनती है, यदि दोष सिद्धि में दो वर्ष या इससे अधिक की सजा दी गई हो तो अयोग्यता के कारण विधान सभा की सीट स्वतः रिक्त होती है। यह भी स्पष्ट किया था कि इस बाबत अनुच्छेद 190 की उपधारा (3) लागू होती है।

जहाँ अनुच्छेद 192 में असेम्बली के सदस्य की सदस्यता अयोग्यता के विवाद के बाबत निर्णय लेने का अधिकार महामहीम गवर्नर महोदय को है वहीं संसद के सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार महामहीम प्रेसीडेण्ट को संविधान के अनुच्छेद 103 में है। यह ध्यान रहे कि विभिन्न विचारों के टकरार से ही कानून का सृजन व प्रगति होती है।

संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि अयोग्यता के बाबत कोई विवाद होने पर उसका निर्णय गवर्नर करते हैं और उनका निर्णय अन्तिम होता है, किन्तु गवर्नर के लिये यह अपेक्षित है कि वे निर्णय से पूर्व चुनाव आयोग (Election Commission) की राय लेंगे। इस प्रकार कंवर लाल मीणा के केस में जो सीट रिक्त होने अथवा अयोग्यता के बाबत निर्णय है, उसकी समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है।

कंवर लाल मीणा की अयोग्यता व सीट रिक्त होने के सम्बन्ध में लिखे गये लेख (सम्पादकीय) से पूर्व एक अन्य लेख ''सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के बाबत संविधान के अनुच्छेद 103 की क्या कोई भूमिका है?'' शीर्षक से लेखक ने लिखा था वह भी राष्ट्रदूत में दिनांक 11.08.2023 को प्रकाशित हो चुका है। उस लेख सम्पादकीय में स्वंय लेखक को ऐसा प्रतीत होता है गलती सोच में कहीं है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) का उल्लेख तो किया है, किन्तु दोष सिद्धि के प्रश्न पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कन्वीक्शन को निलम्बित करने का उल्लेख किया है; किन्तु इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उक्त अधिनियम की धारा 8(4) स्वंय को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। अतः पाठकों से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों में स्वंय अपने विवेक से सही निर्णय करें कि सही कानून स्थिति क्या है। कन्वीक्शन को स्थगित रखने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में कोई चुनौती नहीं है।

जहाँ अनुच्छेद 192 में असेम्बली के सदस्य की सदस्यता अयोग्यता के विवाद के बाबत निर्णय लेने का अधिकार महामहीम गवर्नर महोदय को है वहीं संसद के सांसद की सदस्यता की अयोग्यता के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार महामहीम प्रेसीडेण्ट को संविधान के अनुच्छेद 103 में है।

यह ध्यान रहे कि विभिन्न विचारों के टकरार से ही कानून का सृजन व प्रगति होती है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राशिफल शुक्रवार 6 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र प्रातः 6:34 तक, व्यतिपात योग दिन 10:13 तक, वणिज करण दिन 3:32 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:07 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–वृष, चन्द्रमा–कन्या, मंगल–कर्क, बुध–वृष, गुरू–मिथुन, शुक्र–मेष, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से प्रातः 6:34 तक है। रवियोग प्रातः 6:34 तक रहेगा। राजयोग रात्रि 4:48 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:18 तक, लाभ अमृत 7:18 से 10:43 तक, शुभ 12:25 से 2:07 तक, चर 5:32 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:14

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

धनु
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ राहत मिलेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय महत्वपूर्ण कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

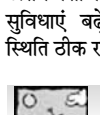

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को संयम रखना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

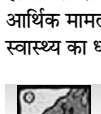

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

मीन
घर–परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

क्षत्रपति शिवाजी का हिन्दवी स्वराज : सिद्धान्त, संरचना एवं संचालन

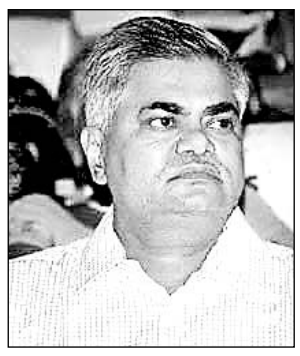

राजेश्वर सिंह

6 जून, 1674 को पश्चिमी भारत के ऐतिहासिक रायगढ किले में क्षत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ व इसके साथ ही इस विस्तृत भूभाग में हिन्दवी स्वराज की स्थापना हुई, जो स्वधर्म के प्रति अटूट निष्ठा, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता व सम्मान के भाव, प्रजाजन के सर्वविधि कल्याण, धार्मिक कट्टरता, आतंक, बर्बर अत्याचार व पशुता के प्रभावी प्रतिरोध, सबको स्वधर्मपालन की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता, समाज, राज्य व सैन्यबल के अन्योन्याश्रित सुसंगठन तथा उचित, न्यायपूर्ण व जनसहभागी शासनतन्त्र के प्राचीन भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित था।

भारतीय परम्परा में राजा व मन्त्रिपरिषद को राज्य रूपी रथ के दो पहिए के रूप में परिभाषित किया गया है। राजा का यह कर्तव्य व दायित्व है कि वह विद्वान व बुद्धिमान मंत्रियों को नियुक्त करे तथा उनके परामर्श से राजकार्य का संचालन करे। शिवाजी की मन्त्रिपरिषद जिसे अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है, में पेशवा (प्रधानमंत्री), अमात्य या मजुमदार (वित्तमंत्री), मंत्री या वाकयानवीस (राजनीतिक सचिव), पंत सचिव या दाबीर (विदेश सचिव), सेनापति या सरे नौबत, पण्डितराव (मुख्य धर्माधिकारी) एवं न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधिकारी) सम्मिलित थे।अष्टप्रधान की व्यवस्था शासन विज्ञान के प्राचीन ग्रंथ शुक्रनीति पर आधारित थी।

ये मंत्री मुख्यतः अपने विभागों का पर्यवेक्षण करते थे तथा उसके बीच समन्वय अथवा तालमेल बिठाने का कार्य पेशवा के द्वारा किया जाता था। शिवाजी का हिन्दवी स्वराज प्रान्त, सूबा, परगना, हवल या महल, ग्रामसंघ, कस्बा या मौजा तथा पेठ में विभाजित था, जिनके प्रभारी अधिकारियों को क्रमशः सर सूबेदार, सूबेदार, सर हवलदार या वतनदार, हवलदार या महलदार, कामविसदार, पाटिल तथा सेठ महाजन कहा जाता था। प्रत्येक सूबेदार के पास सामान्यतः आठ सहायक होते थे, जो विभिन्न कार्यो के प्रभारी थे। उनके पदनाम थे– दीवान, मजूमदार, फडनीस, सबनीस, कारखानीस, चिटणीस, जमादार और पोटनिस। यह अष्ट प्रधान व्यवस्था का सूबाई संस्करण था।

न्यायिक विवादो का निर्णय स्थानीय स्तर पर पाटिल अथवा उनके द्वारा नियुक्त पंचायत द्वारा किया जाता था। क्षेत्रीय स्तर पर देशक सभा थी, जिसमें सभी क्षेत्रीय अधिकारी ,मौजो के पाटिल तथा पेठो के सेठ महाजन सम्मिलित होते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायिक निकाय के रूप में राजसभा थी, जिसमे राजा व मन्त्रिगण के अतिरिक्त विवाद से सम्बन्धित स्थान के स्थानीय पदाधिकारी भी सम्मिलित होते थे। धर्मसभा एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय था, जिसका कार्य धर्म अथवा परम्परा से जुडे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राजसभा को अपनी राय से अवगत कराना था।

शिवाजी की राज्य व्यवस्था में दो प्रकार के कर्मचारी थे ,स्थायी और अस्थायी। इसमें बडी संख्या अस्थायी लोगो की थी। सेना में अधिकांश सैनिक वर्षाकाल के चार माह खेती करते थे और बाकी के आठ माह सेना में सेवाएँ देते थे। स्वराज में हर माह प्रतिपदा के दिन नकद पारिश्रमिक दिया जाता था। शिवाजी की सेना में एक लाख पैदल सैनिक, एक लाख पांच हजार घुडसवार तथा पाँच हजार नौसैनिको को रोजगार प्राप्त था। शिवाजी के हिन्दवी स्वराज में जागीर प्रथा कम कर मासिक वेतन की पद्धित लागू की गई थी। बडे से बडे प्रशासनिक अथवा सैन्य अधिकारी को भी जागीर नही दी जाती थी। राज्य के पेशवा मोरापन्त पिगले को भी जागीर न देकर 56000 रू प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था। इससे अधिकारियों पर नियन्त्रण कायम हुआ तथा किसान एवं काश्तकार वर्ग के सामन्ती शोषण पर लगाम लगी।

शिवाजी के राज्य में अहमदनगर एवं बीजापुर के सुल्तानों और मुगल बादशाह से विजित क्षेत्र सम्मिलित थे, जिनमें कृषक मीर सदर के नाम से ख्यात वंशानुगत जमींदारो के अध्यधीन थे ,जो अत्यधिक लगान वसूलते थे और उन पर अमानुषिक अत्याचार करते थे। शिवाजी ने इन जमींदारो को अपने नियन्त्रण मे लेकर उनकी सारी शक्तिया छीन ली और प्रत्येक कृषक द्वारा दिये जाने वाले राजस्व की सही, औचित्यपूर्ण व वस्तुपरक गणना कर उनका लगान व जमीदार को उनके द्वारा देय राशि का निर्धारण कर दिया। इसी तरह की व्यवस्था हर प्रान्त में लागू कर समस्त कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें उर्वरता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण, उपज का आभिनिश्चयन ,लगान का नियतन तथा मध्यस्थ प्रथा का उन्मूलन किया गया। बंजर जमीने कृषि योग्य बनाई गई तथा किसानों को बीजों एवं पशुओ की सहायता दी गई। कृषि योग्य बनाई गई बंजर भूमि पर शुरुआती दौर में मामूली भूराजस्व वसूल किया जाता था।

मध्यकालीन भारत में क्षत्रपति शिवाजी महाराज पहले राजा थे जिन्होने आधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी के महत्व को समझा तथा वस्तुओं के बजाय तकनीक के आयात पर बल दिया। स्वदेशी जलपोत के निर्माण के लिये उन्होने कल्याण व भिवण्डी मे कारखाने लगवाए। तोपों की आवश्यकता बढने पर उन्होने फ्रांस के सहयोग से पुरंदर किले पर तोप का कारखाना लगवाया। उन्हे जब पता चला कि अरबी घोड़े बाकी घोड़ों की तुलना में ज्यादा तेज व लंबे समय तक भाग सकते है तब उन्होने अपने राज्य में इन घोड़ों की प्रजाति बढाने के लिय विशेष केन्द्र खोले। व्यापार के बढने से प्राप्त हुई आय एवं विभिन्न विजय अभियानों से प्राप्त राशि को शिवाजी ने ढांचागत संरचना के विकास में लगाया। उन्होने विभिन्न दुर्गों,बन्दरगाहों तथा सडको का निर्माण करवाया। उन्होने नौवहन एवं नौसेना के महत्त्व को समझा तथा उसे सुदृढ बनाने के हेतु यथा संभव प्रयास किए।

शिवाजी की उच्चकोटि की व्यक्तिगत नैतिकता का प्रभाव सम्पूर्ण प्रशासन, सेना एवं सार्वजनिक जीवन पर था। सैनिको को किसानो तथा व्यवसायियों से कोई भी वस्तु मूल्य चुका कर लेने के सख्त निर्देश थे। सैन्य अभियान में पत्नी, नृत्यांगना अथवा कलाल को ले जाने की मनाही थी। किसी भी धर्मस्थल अथवा धर्मठान्थ को हानि न पहुँचाने के लिए भी सेना को पाबन्द किया गया था। विजित क्षेत्र की महिलाओ के साथ सैनिकों का व्यवहार अत्यन्त सम्मानपूर्ण ,शालीन एवं मर्यादित था। आचरण व व्यवहार की इस पवित्रता व उच्चता ने शिवाजी व हिन्दवी स्वराज को एक अत्यन्त तेजस्वी आभामण्डल से मण्डित कर दिया था, जो प्रजा के मन को श्रद्धा, सम्मान व समादर से परिपूर्ण करता था व उन्हे इस स्वराज की सुरक्षा व संरक्षण के लिए सर्वस्व समर्पण करने को प्रेरित करता था।

-राजेश्वर सिंह,
आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)

जयपुर : विकास की गंगा में समस्याओं के रोड़े

राजेन्द्र मोहन शर्मा

जयपुर, राजस्थान की राजधानी और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक चमकता रत्न, अपनी ऐतिहासिक भव्यता और आधुनिक विकास के बीच एक जटिल संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात यह शहर अपनी वास्तुकला, हस्तशिल्प और पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। सफाई, पानी की आपूर्ति, ट्रैफिक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली की हाईटेंशन लाइनें, ड्रेनेज सिस्टम, कानून–व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, कच्ची बस्तियों में आवास, अतिक्रमण, औद्योगिक अपशिष्ट और बढ़ती जनसंख्या का दबाव जैसे मुद्दे जयपुर की प्रगति को बार–बार प्रश्नों के घेरे में लाते हैं। तथ्यों और हाल के आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण जयपुर के विकास के दावों और वास्तविकता के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। जयपुर की सफाई व्यवस्था शहर की छवि पर एक धब्बे की तरह है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जयपुर को स्वच्छ शहर बनाने के दावे बार–बार किए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर बिखरा कचरा, अनियमित कचरा संग्रह और अपर्याप्त कचरा निस्तारण इकाइयां इन दावों की पोल खोलती हैं।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की खामियों पर सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट फाइनेंस कमीशन का 40 प्रतिशत बजट ग्राम पंचायतों में सफाई पर खर्च होता है, फिर भी जयपुर से सके ग्रामीण जैसे क्षेत्रों में लापरवाही के कारण अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा। शहरी क्षेत्रों में, जयपुर नगर निगम (ग्रेटर और हेरिटेज) ने सफाई अभियानों को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन कचरे के ढेर, खासकर कच्ची बस्तियों और बाजारों में, एक आम दृश्य हैं। ठोस कचरा प्रबंधन की कमी और नागरिकों में जागरूकता का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है। प्रशासन की ओर से बार–बार स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में, जयपुर की गलियां और नाले स्वच्छता के सरकारी दावों का मजाक उड़ाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के 368 बांध गर्मी के कारण पूरी तरह सूख गए, जिसने जयपुर की जल आपूर्ति को और संकट में डाल दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नहरी स्त्रोतों पर आधारित 80 जल योजनाओं पर काम शुरू किया, जिनमें से 64 पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कच्ची बस्तियों और उपनगरीय क्षेत्रों में पेयजल की अनियमित आपूर्ति एक कड़वी सच्चाई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि परिवहन विभाग ने छह साल बाद लोक परिवहन बस सेवा के लिए परमिट देने का निर्णय लिया, जो एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन, जयपुर मेट्रो का सीमित दायरा और सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्त सुविधाएं शहर की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम हैं।

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दीर्घकालिक योजना और सख्ती की जरूरत है, लेकिन प्रशासन की प्राथमिकताएं अल्पकालिक समाधानों तक सीमित दिखती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर में एक मिश्रित तस्वीर पेश करती हैं। सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल जैसे बड़े संस्थान पूरे राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी ने इन सुविधाओं पर दबाव बढ़ा दिया है।

निजी अस्पतालों की महंगी सेवाएं आम जनता की पहुंच से बाहर हैं, और सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित रहता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली कटौती और मेंटेनेंस के लिए 4–6 घंटे की कटौती की घोषणाएं आम हैं, जो स्थानीय निवासियों में असंतोष पैदा करती हैं। सरकार बिजली कनेक्शन प्रदान करने की अवधि को 7 दिन से घटाकर 3 दिन करने का दावा किया, लेकिन यह सुधार जयपुर में अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। बिजली आपूर्ति और सुरक्षा के मामले में प्रशासन की लापरवाही और अल्पकालिक दृष्टिकोण चिंताजनक है। ड्रेनेज सिस्टम जयपुर की एक और कमजोर कड़ी है। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या शहर की नाकामी को उजागर करती है। संपर्क पोर्टल और सीएम जनसुनवाई में लंबित शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इन शिकायतों के निपटारे के लिए साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती इस प्रक्रिया को बाधित करती है।

एक रिपोर्ट में जयपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षिका के बीच विवाद का उल्लेख है, जो शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता की कमी को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपस्थिति स्थिति को और बदतर बनाती है।रोजगार के अवसर जयपुर में पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योगों के कारण बढ़े हैं, लेकिन यह प्रगति असमान है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पर्यटन से जुड़ी दो परियोजनाओं के लिए 145 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिनमें आमेर, नाहरगढ़ और जल महल का विकास शामिल है। ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, लेकिन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की कमी एक गंभीर समस्या है। कच्ची बस्तियों में पुनर्वास योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन धीमा और अपर्याप्त है। जेडीए की वेबसाइट के अनुसार, सामुदायिक केंद्र और रिंग रोड जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, लेकिन यह प्रगति कागजों तक सीमित दिखती है।पर्यटन जयपुर की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन इसके कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर जैसे स्थल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और ट्रैफिक जाम पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, खासकर हस्तशिल्प और रत्न उद्योगों से उत्पन्न कचरा, पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है। ठोस अपशिष्ट और रासायनिक कचरे के निस्तारण की कमी एक गंभीर समस्या है। कनेक्ट्राजस्थान के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर की जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है, जो जल, बिजली और आवास जैसी सुविधाओं पर दबाव डाल रहा है।जयपुर का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन यह विकास असमान और अव्यवस्थित है।

जेडीए ने अपने क्षेत्राधिकार को 6,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 679 नए गांव शामिल होंगे इस हेतु 10 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 नए जोन स्थापित करने की योजना है। लेकिन, इन योजनाओं का प्रभाव तब तक सीमित रहेगा, जब तक बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता। जयपुर एक ऐसा शहर है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसा हुआ है। सफाई, पानी, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तत्काल जरूरत है। बिजली, ड्रेनेज और कानून–व्यवस्था जैसे मुद्दों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। शिक्षा और रोजगार में प्रगति हो रही है, लेकिन कच्ची बस्तियों और अतिक्रमण की समस्या जटिल बनी हुई है। पर्यटन और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के साथ–साथ बढ़ती जनसंख्या के दबाव को नियंत्रित करना होगा। जयपुर का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब प्रशासन और नागरिक मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें।

–राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार,
शिक्षाविद् और चिन्तक

तेजी से घट रहा भू–जल स्तर, जल संचय के साथ बूंद–बूंद बचत को आदत बनाना होगा

भजनलाल सरकार के प्रयासों से जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जो भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्र में स्थित है। यहां का अधिकांश हिस्सा थार मरुस्थल से आच्छादित है, जहाँ वर्षा की मात्रा अत्यंत कम है। देश के सतही जल का महज 1.16 प्रतिशत और भूमिगत जल का महज 1.72 प्रतिशत राज्य के हिस्से में आता है जबकि देश की 5.67 प्रतिशत आबादी यहां निवास करती है और राज्य में देश का 10.41 प्रतिशत भू–भाग है। भू–जल राजस्थान के लिए जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्त्रोत बन चुका है लेकिन अंधाधुंध दोहन, अनियमित और कम वर्षा तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण भू–जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इस संकट से निपटने के लिए भू–जल संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

सतही जल स्त्रोतों की कमी के कारण राज्य में भू–जल पर निर्भरता अधिक है। अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भू–जल निरन्तर नीचे जा रहा है। इसके कारण न केवल पेयजल की समस्या बढ़ी है, बल्कि कृषि पर भी गंभीर असर पड़ा है। जनसंख्या में तीव्र रूप से हो रही वृद्धि, कृषि विकास, बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण इत्यादि के चलते भू–जल दोहन में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो विषय की गंभीरता स्पष्ट समझ में आएगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 302 ब्लॉक्स में से 216 ब्लॉक्स अति दोहित श्रेणी यानि डार्क जोन में हैं, 23 ब्लॉक्स क्रिटिकल और 22 ब्लॉक्स सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। केवल 38 ब्लॉक्स सुरक्षित श्रेणी में हैं जबकि 3 ब्लॉक्स लवणीय होने के कारण इनका रिपोर्ट में आकलन नहीं किया गया। वर्ष 1984 में जब पहली बार 236 ब्लॉक्स का असेसमेंट किया गया था, तब 203 ब्लॉक्स सुरक्षित श्रेणी में और केवल 12 ब्लॉक्स अतिदोहित श्रेणी में थे। समस्या के समाधान के लिए भू–जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें भजनलाल सरकार द्वारा 5 जून, 2025 को आरम्भ किया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मील का पत्थर माना जा सकता है। इससे पूर्व भी राज्य में इस दिशा में किए अभिनव प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं–

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग : निजी और सरकारी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे वर्षा का जल सीधे जमीन में पहुंचकर भू–जल स्तर बढ़ाने में मदद करता है।

जोहड़ और तालाबों का पुनरुद्धार: परम्परागत जल स्त्रोत जैसे जोहड़, बावड़ी और तालाबों की सफाई व गहरीकरण कर उन्हें पुनः जल संचयन के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है।

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान : वर्षा जल के संचयन की दिशा में यह वर्तमान राज्य सरकार द्वारा शुरु किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके अंतर्गत प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि के लिए जिम्मेदारी निभाते हुए जल संचय के कार्यों में उत्साह के साथ भागादारी निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान : इसके अंतर्गत गांवों में सामुदायिक भागीदारी से जल संरचनाएं विकसित की गईं जिससे जल संरक्षण और भू–जल रिचार्ज को बढ़ावा मिला।

सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग : बूंद–बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देकर सिंचाई में जल की बचत की जा रही है।

फसल चक्र और जल अनुकूल कृषि : किसानों को कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है जैसे बाजरा, ग्वार और मूंग।

इसी प्रकार, अटल भू–जल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना आदि के प्रभावी क्रियान्वयन से भी भूमिगत जल सहेजने में मदद मिल रही है।

राज्य में जल संरक्षण की मुहिम को सफल बनाने में स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संगठनों और ग्राम पंचायतों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भू–जल संरक्षण न केवल पर्यावरणीय आवश्यकता है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सरकार, समाज और आमजन सभी की सहभागिता अनिवार्य है। यदि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाएं, तो राजस्थान भविष्य में जल संकट से बच सकता है और एक जल–समृद्ध राज्य बन सकता है। हमें जल संचय की तकनीकों को अपनाने के साथ ही पानी की एक–एक बूंद सहेजने की आदत डालनी होगी। याद रखिए, ''जल है, तो ही कल है''।